

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं०सं०- 09/आ०-09-01/2010

अधिसूचना

डॉ० लखीन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, दरभंगा सम्प्रति अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना के विरुद्ध कतिपय आरोपों में विभागीय संकल्प संख्या- 311(9), दिनांक- 17.04.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षा विभाग द्वारा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि उनके विरुद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं है। जो अंशतः है, वह भी विशिष्ट प्रकृति के नहीं हैं। उक्त आलोक में डॉ० लखीन्द्र प्रसाद को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः डॉ० लखीन्द्र प्रसाद को आरोपमुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(देवचन्द्र चौधरी)

सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

757 (9)

पटना/दिनांक- 20/8/2015

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डॉ० लखीन्द्र प्रसाद, सिविल सर्जन, दरभंगा सम्प्रति अधीक्षक, पी०एम०सी०एच०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी- 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव